भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 253

जिसका उत्तर मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2025/11 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

अटल पेंशन योजना

253. श्री महेंद्र भट्ट:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तराखंड में असंगठित क्षेत्र के कितने श्रमिक अटल पेंशन योजना से लाभान्वित हुए हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को दिनांक 09.05.2015 को आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों, विशषकर गरीबों, पिछड़े लोगों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना था। यह भारत के 18-40 साल की उम्र के सभी नागरिकों के लिए है, जिनका बैंक या डाकघर में बचत बैंक खाता है। इस योजना के अनुसार, अभिदाता को 60 साल की उम्र होने पर पेंशन का लाभ मिलेगा। इसलिए, एपीवाई के तहत पेंशन का लाभ 2035 से शुरू होने की आशा है।

इसके अलावा, दिनांक 31.10.2025 तक, उत्तराखंड में असंगठित क्षेत्र के लोगों समेत योजना में कुल 8,91,202 लोग नामांकित हैं।
